

धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता



1. संदर्भ

- धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है: धर्म से अलग
- तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच
- विद्युद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला
- जीवन के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं से धर्म को अलग करना
- धर्म से राज्य का विद्युद्ध
- सभी धर्मों की पूर्ण स्वतंत्रता और सहिष्णुता
- सभी धर्मों के अनुयायियों के लिये समान अवसर
- धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं

2. भारत के इतिहास में धर्मनिरपेक्षता

- वेद और उपनिषद धार्मिक बहुलता पर प्रकाश डालते हैं
- सम्राट अशोक- राज्य किसी भी धार्मिक संप्रदाय का अनुसरण नहीं करेगा
- मुद्रों और धर्मिक आंदोलन ने भी विभिन्न समुदायों के लोगों को आपस में जोड़ा, इनमें खजाजा मोस्नुदीन फिरोज़ी, याबा फरोद, कबीर, गुरु नानक देव आदि का प्रमुख योगदान रहा।
- मध्यकालीन भारत- अकबर ने बहुलधर्मिक धर्मांतरण को रोक दिया और जजिया कर को समाप्त कर दिया
 - ◆ 'दीन-ए-इलाही' में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के तत्व थे
 - ◆ 'सुलत-ए-कुल' की अवधारणा या धर्मों के बीच शांति और सद्भाव
 - ◆ 'इबादतखाना' या पूजा का कक्ष
- दारा शिकोह ने हिंदू दर्शन का अध्ययन किया और विभिन्न धर्मों के मध्य साझा आधार खोजने का प्रयास किया
- आधुनिक भारत- अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाई
 - ◆ 1905 में ब्रिटिशों ने बंगाल का विभाजन किया
 - ◆ 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने अलग निर्वाचक मंडल का प्रवधान किया
 - ◆ भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने इस प्रवधान को अन्य समुदायों के लिये बढ़ा दिया
 - ◆ 1932 का रैमसे मैकडोनाल्ड संप्रदायिक पुरस्कार जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रतिनिधित्व का आधार बना
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया गया था
 - ◆ उदारवादी नेताओं ने राजनीति में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया
 - ◆ 1928 की एंतिहासिक नेहरू समिति में धर्मनिरपेक्षता पर कई प्रवधान थे
 - ◆ गांधीजी की धर्मनिरपेक्षता- भाईचारा, समान और सच्चाई का अनुसरण
 - ◆ नेहरू की धर्मनिरपेक्षता- वैज्ञानिक मानवतावाद के लिये प्रतिबद्धता

3. भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दर्शन

- परिचामी समाज- 'धर्मनिरपेक्ष' (धर्म के प्रति राज्य की उदासीनता)
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता- 'सर्व धर्म समभाव' (सभी धर्मों का समान सम्मान)
- विवेकानंद और महात्मा गांधी- 'सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता'
- भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है
- सभी धर्मों के अपने अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं

5. धर्मनिरपेक्षता का भारतीय बनाम परिचामी मॉडल

- परिचामी मॉडल में 'राज्य' और 'धर्म' एक-दूसरे से पूर्णतः अलग हैं
- भारत में राज्य और धर्म दोनों एक-दूसरे के मामलों में वास्तविक और हस्तक्षेप कर सकते हैं
- परिचामी मॉडल में राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकता है
- भारतीय मॉडल ने एक सकारात्मक तरीका चुना है जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों को राज्य से सहायता प्राप्त हो सकती है
- परिचामी मॉडल में राज्य धर्म के मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि धर्म कानून का उल्लंघन न करे
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य सामाजिक बुराइयों जैसे- सती प्रथा, दहेज, गीन तलाक आदि को दूर करने के लिये धर्म में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- परिचामी मॉडल किसी भी सार्वजनिक नीति को धर्म के आधार पर प्रारूपित करने का निषेध करता है
- भारत में राज्य की धार्मिक संवेदनशील विभागों की स्थापना की नीति है और इन बौद्धों के न्यासी नियुक्त करना भी इसमें शामिल है

7. आगे की राह

- चूँकि धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा माना गया है। अतः यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इसका संरक्षण सुनिश्चित करे।
- धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अल्पसंख्यकों को मान्यता देने और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने पर आधारित है।
- अतः अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये और इसे धर्मनिरपेक्षता के चरम से नहीं देखा जाना चाहिये।
- साथ ही धर्मनिरपेक्षता को सैवधानिक जनदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक आयोग का गठन किया जाना चाहिये।
- राजनीति को धर्म से अलग करके देखा जाना चाहिये और यह एक ऐसी आवश्यकता है, जहाँ तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म के विद्युद्ध रूप से व्यक्तिगत और निजी मामला होने की उम्मीद की जाती है। जनप्रतिनिधियों को इसका खयाल रखना चाहिये।

4. धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान

- संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है
- 'सेकुलर' शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था
- अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता और सभी को कानूनों की समान सुरक्षा प्रदान करता है
- अनुच्छेद 15, धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है
- अनुच्छेद 16 (1), सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है
- अनुच्छेद 25- 'अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26- धार्मिक और धार्मिक संस्थानों के लिये संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार
- अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिये किसी प्रकार का कर देने के लिये बाध्य नहीं करेगा
- अनुच्छेद 28, धार्मिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है
- अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करते हैं
- अनुच्छेद 51A, सभी नागरिकों को सद्भाव और सामान्य भाईचारा देने का प्रवधान करता है

6. धर्मनिरपेक्षता को उतारा

- धर्म का राजनीतिकरण
 - ◆ विभाजनकारी वैचारिक प्रचार
 - ◆ धार्मिक समूहों का प्रतिस्पर्धी राजनीतिकरण
 - ◆ सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद
 - ◆ सांप्रदायिक रंगे
- हिंदू राष्ट्रवाद का उदय: गो-हत्या और गो-मांस का सेवन करने के मुद्दे पर भीड़ हिंसा, 'लव जिहाद' के विद्युद्ध आंदोलन, पुनर्विचार या घर-बापसी जैसी विचारधारा
- इस्लामिक कट्टरवाद या पुनरुत्थानवाद: ISIS जैसे आतंकी संगठनों में मुस्लिम युवाओं का शामिल होना